2026 का विधेयक सं.11

राजस्थान वृक्ष (संरक्षण) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

वृक्षों को गिराने से रोकने और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित तथा प्रोन्नत करने और वृक्षों, विशेषत: वे जो पवित्र उपवन समझे जाते हैं या किसी संकटापन्न जातियों से संबंधित होने के रूप में पहचाने जाते हैं, की सुरक्षा और संरक्षा करने के लिए और उनसे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

यत: भारत के संविधान के अनुच्छेद 48क के अधीन यथापरिकल्पित पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए बेहतर उपबंध बनाये जाने समीचीन है।

भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान वृक्ष (संरक्षण) अधिनियम, 2026 है।

(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. लागू होना.- यह अधिनियम, गैर-वन क्षेत्रों में अर्थात् राजस्थान वन अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम सं. 13) के अधीन अधिसूचित आरक्षित वनों और संरक्षित वनों और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केंद्रीय अधिनियम सं. 53) के अधीन "संरक्षित क्षेत्र" के रूप में घोषित क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में, वृक्षों पर लागू होगा।

3. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अपीलीय प्राधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया कोई प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से इस अधिनियम के अधीन, राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करने के लिये प्राधिकृत कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "वृक्ष गिराना" से इसकी सजातीय अभिव्यक्तियों के साथ, तने को जड़ों से विच्छेद करना, वृक्ष को उखाड़ना अभिप्रेत है और इसमें बुलडोजिंग करना, काटना, परितक्षण करना, पोलार्डिंग करना, वृक्षनाशकों का प्रयोग करना, जलाना या किसी अन्य रीति से वृक्ष को नुकसान पहुंचाना सम्मिलित है, किन्तु इसमें वृक्ष के किसी भाग की ऐसे प्रयोजनों के लिए छंटाई, सम्मिलित नहीं होगी, जैसा कि विहित किया जाये;

(घ) **"भूमि"** से प्रत्येक प्रकार की भूमि चाहे वह कृषिक, गैर-कृषिक, ग्रामीण या नगरीय हो अभिप्रेत है, और इसमें, निजी भूमि, सरकारी भूमि, राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों या नगर विकास न्यास या अन्य विकास प्राधिकरणों को अंतरित की गई भूमि, भवनों या संस्थानिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासिक परिसरों, सड़क-पार्श्व, नहर तट, नदी तट से अनुलग्न भूमि और ऐसी अन्य भूमियां जहां वृक्ष विद्यमान हों सम्मिलित हैं;

(ङ) "अधिभोग" से, किसी भूमि के संबंध में, किसी व्यक्ति द्वारा चाहे वह किरायेदार, पट्टेदार, अनुज्ञप्तिधारी, सकब्जा बंधकदार, आबंटिती के रूप में हो या अन्यथा, ऐसी भूमि का कब्जा, अधिभोग, उपयोग या उपभोग अभिप्रेत है किन्तु इसमें वह व्यक्ति जो ऐसी भूमि पर केवल अस्थायी प्रवेश का अधिकार रखता है सम्मिलित नहीं है;

(च) "व्यक्ति" से कोई व्यष्टि, व्यक्तियों का समूह, सोसाइटी या न्यास या फर्म चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या अरजिस्ट्रीकृत हो, कंपनी या संगम या व्यक्तियों का निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, अभिप्रेत है;

(छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "अनुसूची" से इस अधिनियम की अनुसूची अभिप्रेत है;

(झ) "वृक्ष" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट जाति का कोई भी काष्ठीय पादप, जिसकी शाखाएं किसी तने या मुख्य भाग से निकलती हों और उस पर अवलंबित हों और जिसके तने या मुख्य भाग का व्यास भू-स्तर के ऊपर आवक्ष ऊंचाई पर दस सेंटीमीटर से कम नहीं हो अभिप्रेत है:

परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा अनुसूची में परिवर्धन या उपांतरण कर सकेगी;

स्पष्टीकरण.- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए 'आवक्ष ऊंचाई' से खड़े वृक्षों की परिधि, व्यास और आधार क्षेत्र को मापने के लिए मानक ऊंचाई अभिप्रेत है जिसे भू-स्तर के ऊपर 4 फीट 6 इंच (1.37 मीटर) के रूप में मापा जाता है और ढलानों पर आवक्ष ऊंचाई ऊपर की ओर से मापी जाती है।

4. वृक्षों के गिराये जाने पर निर्बंधन.- तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी या किसी लिखत में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति भूमि पर खड़े किसी वृक्ष को, चाहे वह उसके स्वामित्व या अधिभोग में हो या अन्यथा, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के सिवाय, नहीं गिरायेगा या ऐसे वृक्ष को गिराया जाना कारित नहीं करेगा:

परन्तु इस धारा के अधीन पांच सौ वर्गमीटर से अनधिक क्षेत्र वाले किसी आवासिक भू-खण्ड या आवासिक परिसर पर खड़े किसी वृक्ष को गिराने या उसके व्ययन करने के लिए कोई अनुज्ञा अपेक्षित नहीं होगी।

5. कतिपय अधिकारियों द्वारा धारा 4 के उल्लंघन की रिपोर्ट किया जाना.- (1) राजस्व अधिकारी, पटवारी, भू-अभिलेख निरीक्षक और ग्राम विकास अधिकारी जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर धारा 4 का उल्लंघन कारित किया जाता है, वह,-

(क) ऐसे उल्लंघन और ऐसे उल्लंघन कारित किये जाने की तैयारी, जो उसकी जानकारी में आती है, की अविलंब सूचना उस धारा के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को देने के लिए; और

(ख) ऐसा उल्लंघन, जो वह जानता हो या जिसके होने या कारित किये जाने की संभावना के विश्वास करने का कारण रखता हो, निवारित करने की उसकी शक्ति में के समस्त युक्तियुक्त अध्युपाय करने के लिए;

बाध्यता के अधीन होगा।

(2) धारा 4 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उल्लंघन से संबंधित किसी सूचना की प्राप्ति पर या स्वप्रेरणा से और इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार तत्काल ऐसी कार्रवाई करेगा, जो आवश्यक हो।

6. वृक्षों को गिराने की अनुज्ञा.- प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे व्यक्ति से किसी आवेदन की प्राप्ति पर, जो ऐसे प्रयोजन जो विहित किये जायें, के लिए, किसी वृक्ष को गिराना या किसी वृक्ष का अन्यथा व्ययन करना चाहता है और उस भूमि, जिस पर ऐसा वृक्ष खड़ा है, के स्वामित्व या अधिभोग के सबूत के लिए दस्तावेजों की वैधता के संबंध में समाधान हो जाने पर और कोई जांच, ऐसी रीति से जो विहित की जाये, करने के पश्चात्, वृक्ष को गिराने की, लिखित में, अनुज्ञा अनुदत्त कर सकेगा:

परन्तु जहां कोई वृक्ष किसी व्यक्ति या संपत्ति को ऐसा आसन्न संकट उत्पन्न करता है, वहां भू-स्वामी, ऐसे वृक्ष को गिराये जाने की तुरन्त कार्रवाई कर सकेगा और ऐसे गिराये जाने के अड़तालीस घण्टों के भीतर प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे तथ्य की रिपोर्ट करेगा।

7. वृक्षारोपण की बाध्यता.- प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के पश्चात्, किसी वृक्ष को गिराता है, वह प्रत्येक गिराये गये वृक्ष के स्थान पर उसी के आस-पास वृक्षों की ऐसी संख्या, जो विहित की जाये, के रोपण का जिम्मा लेगा और प्राधिकृत अधिकारी के निदेशों के अनुसार ऐसे रोपित वृक्षों की देखभाल करेगा:

परन्तु कोई व्यक्ति, जो वृक्षारोपण का जिम्मा लेने में असमर्थ है, वह गिराये गये वृक्षों के लिए राज्य सरकार की अभिहित एजेंसी को वृक्षारोपण का जिम्मा लेना आसान करने के लिए, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी धनराशि, जो वृक्षों के महत्व को ध्यान में रखते हुए विहित की जाये, जमा करा सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए, 'राज्य सरकार की अभिहित एजेंसी' से, राज्य सरकार की कोई अभिहित एजेंसी जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाये अभिप्रेत है।

8. वृक्षों को गिराने की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) धारा 6 के अधीन प्रत्येक आवेदन, वृक्ष की विशिष्टियां, भूमि के भू-खंड, का ब्यौरा जिस पर वृक्ष अवस्थित है, और वृक्ष को गिराने के कारण दर्शित करते हुए लिखित में किया जायेगा और वह ऐसी फीस के साथ और ऐसे प्ररूप में होगा, जैसाकि विहित किया जाये।

(2) प्राधिकृत अधिकारी किसी वृक्ष के संबंध में किसी आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदक को एक अभिस्वीकृति जारी करेगा और उसकी प्राप्ति पर तीस दिवस के भीतर ऐसी रीति से जांच करने के पश्चात्, जो विहित की जाये, या तो वृक्षों का गिराया जाना अनुज्ञात करते हुए या आवेदन को नामंजूर करते हुए, उसके लिए कारण दर्शित करते हुए, आवेदन का निपटारा करेगा:

परन्तु ऐसी अनुज्ञा से इंकार नहीं किया जा सकेगा, यदि वृक्ष-

(i) मृत, रोग ग्रस्त है या हवा से गिर जाता है;

(ii) जीवन या संपत्ति को कोई खतरा उत्पन्न करता है;

(iii) यातायात में बाधा उत्पन्न करता है; या

(iv) आग, बिजली, वर्षा, या अन्य प्राकृतिक कारण द्वारा सारतः क्षतिग्रस्त या नष्ट हो जाता है।

(3) इस अधिनियम के अधीन, किसी वृक्ष को गिराये जाने के लिए, अनुज्ञात प्रत्येक अनुज्ञा, वृक्षारोपण का जिम्मा लेने के लिए प्रतिभूति लेने सहित, ऐसे प्ररूप में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगी, जैसी कि विहित की जाये।

9. अपील.- (1) उप-धारा (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुये, प्राधिकृत अधिकारी के प्रत्येक आदेश के विरूद्ध अपील अपीलीय प्राधिकारी को की जायेगी।

(2) ऐसी प्रत्येक अपील आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर प्रस्तुत की जायेगी:

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी तीस दिवस की उक्त कालावधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसको यह समाधान हो जाता है कि अपीलकर्ता को इसे समय पर फाइल करने से संतोषप्रद कारण से निवारित किया गया था।

(3) ऐसी किसी अपील की प्राप्ति पर अपीलीय प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, कारणों को लेखबद्ध करते हुए उस पर ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे और इस प्रकार पारित आदेश अंतिम होगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाहियां, उप-धारा (2) के अधीन अपील प्रस्तुत किये जाने की तारीख से एक मास की कालावधि के भीतर-भीतर पूर्ण की जायेंगी।

10. दण्ड.- कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या तदधीन बनाए गए नियमों या आदेशों का उल्लंघन करता है, वह दोषसिद्धि पर, कारावास से, जो एक वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माने से, जो एक लाख रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

11. कंपनियों द्वारा अपराध.- (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किये जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के

संचालन के लिए उस कम्पनी का प्रभारी था, और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के दायी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम में उपबंधित किसी भी दण्ड के लिए ऐसे व्यक्ति को दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और तदनुसार दण्डित किये जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए-

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

12. अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना.- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं.46) या तत्समय

प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन समस्त अपराध संज्ञेय और जमानतीय होंगे।

13. अधिहरणीय संपत्ति का अभिग्रहण और उसकी प्रक्रिया.- (1) जहां यह विश्वास करने का कारण हो कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित किया गया है, वहां ऐसी इमारती लकड़ी और समस्त मशीनरी, औजारों, नावों, यानों या अन्य प्रवहणों, रस्सियों, चैनों और अन्य वस्तुएं जिनका उपयोग ऐसा अपराध कारित करने में हुआ है, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी द्वारा अभिगृहीत की जा सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन किसी संपत्ति का अभिग्रहण करने वाला प्रत्येक अधिकारी ऐसी संपत्ति पर यह उपदर्शित करने वाला चिह्न लगायेगा कि उस संपत्ति का अभिग्रहण हो गया है, और यथाशक्य शीघ्र, या तो उस अभिगृहीत संपत्ति को राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष पेश करेगा या अभिगृहीत संपत्ति की मात्रा या परिमाण या अन्य वास्तविक कठिनाई को ध्यान में रखते हुए, जहां उसे इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष पेश करना व्यावहारिक न हो, वहां प्राधिकृत अधिकारी को अभिग्रहण के बारे में रिपोर्ट करेगा, या जहां अपराधी के विरुद्ध दांडिक कार्यवाहियां अविलंब आरंभ किया जाना आशयित हो, वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट उस मजिस्ट्रेट को करेगा, जो उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखता हो:

परन्तु जब वह वृक्ष, जिसके बारे में यह विश्वास हो कि ऐसा अपराध कारित हुआ है, राज्य सरकार की संपत्ति है, और अपराधी अज्ञात है, तब यदि, अधिकारी परिस्थितियों की रिपोर्ट यथाशक्य शीघ्र अपने पदीय वरिष्ठ को कर देता है, तो यह पर्याप्त होगा।

(3) उप-धारा (5) के अध्यधीन रहते हुए, जहां प्राधिकृत अधिकारी का, अभिगृहीत संपत्ति उसके समक्ष पेश किये जाने पर या, यथास्थिति, अभिग्रहण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि उसके संबंध में अपराध कारित किया गया है तो वह लिखित आदेश द्वारा और अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस प्रकार अभिगृहीत ऐसे वृक्षों की काष्ठ, समस्त मशीनरी, औजारों, नावों, यान या अन्य प्रवहणों, रस्सियों, चैनों या किसी अन्य वस्तु सहित, जिनका प्रयोग ऐसे अपराध को कारित करने में हुआ है, का अधिहरण कर सकेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन किसी भी संपत्ति के अधिहरण का कोई भी आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि प्राधिकृत अधिकारी-

(क) उस अपराध का, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को संपत्ति के अधिहरण के लिए कार्यवाहियां आरंभ किये जाने के बारे में विहित प्ररूप में सूचना न भेज दें; और

(ख) उन व्यक्तियों को, जिनकी संपत्ति अभिगृहित की जानी है, सुनवाई का कोई अवसर प्रदान न कर दे।

(5) उप-धारा (3) के अधीन किसी मशीनरी, औजारों, नावों, यान, रस्सियों, चैनों या अभिगृहीत इमारती लकड़ी से भिन्न किसी अन्य वस्तु के अधिहरण का कोई आदेश नहीं किया जायेगा, यदि उप-धारा (4) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, प्राधिकृत अधिकारी को समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि ऐसी किसी भी मशीनरी, औजारों, नावों, यान या अन्य प्रवहणों, रस्सियों, चैनों या किसी भी अन्य वस्तु का उपयोग उसकी जानकारी या मौनानुकूलता के बिना, या यथास्थिति, उसके

सेवक या अभिकर्ता की जानकारी या मौनानुकूलता के बिना किया गया था और ऐसे अपराध कारित करने के लिए पूर्वोक्त वस्तुओं के उपयोग के विरुद्ध समस्त युक्तियुक्त और आवश्यक पूर्वावधानियां बरती गयी थी।

14. अधिहरण के आदेश के विरुद्ध अपील.- (1) अधिहरण के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उस आदेश से तीस दिवस के भीतर, अधिहरण के आदेश की प्रमाणित प्रति सहित और ऐसे प्ररूप में संदेय ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जायें, अपीलीय प्राधिकारी को, अपील कर सकेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी, अपील के अंतिम निपटारे तक, ऐसी सम्पति जो अधिहरण की विषयवस्तु है, की अभिरक्षा, परिरक्षण या व्ययन, जहां आवश्यक हो, से सम्बन्धित ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा जो मामले की परिस्थितियों में वह न्यायसंगत या उचित समझे।

(3) अपीलीय प्राधिकारी, अभिलेख का परिशीलन करेगा और अपील के पक्षकारों को सुनेगा, यदि वे व्यक्तिगत रूप से या सम्यक् रूप से लिखित में प्राधिकृत किसी अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित हों:

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी कोई अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व, अपील के समुचित विनिश्चय के लिए यदि आवश्यक समझे, स्वयं और जांच कर सकेगा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच करवा सकेगा।

(4) अंतिम आदेश की एक प्रति प्राधिकृत अधिकारी को अनुपालन के लिए या अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के अनुरूप कोई भी अन्य समुचित आदेश पारित करने के लिए भेजी जायेगी।

15. अपीलीय प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध सेशन न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण.- (1) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा 14 के अधीन

पारित अंतिम आदेश द्वारा व्यथित अपील का कोई भी पक्षकार आदेश के तीस दिवस के भीतर उस सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर सकेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध कारित किया गया था।

(2) इस धारा के अधीन किसी पुनरीक्षण याचिका को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उस पर विनिश्चय करने के लिए सेशन न्यायालय, यथाशक्य, उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करेगा और उसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसीकि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं.46) के अधीन किसी पुनरीक्षण याचिका को ग्रहण करने, उसकी सुनवाई करने और उस पर विनिश्चय करते समय प्रयोग और अनुसरण करता है। इस धारा के अधीन पारित सेशन न्यायालय का आदेश अंतिम होगा।

16. कतिपय परिस्थितियों में न्यायालय इत्यादि की अधिकारिता का वर्जन.- अपराध का, विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा उस संपत्ति के अधिहरण के लिए, कार्यवाहियां आरंभ होने के बारे में धारा 13 की उप-धारा (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, इस अधिनियम या तत्समय, प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, धारा 14 और 15 में निर्दिष्ट किसी प्राधिकृत अधिकारी, अपीलीय प्राधिकारी और सेशन न्यायालय से भिन्न किसी भी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी को, उस संपत्ति के संबंध में, जिसके लिए धारा 13 के अधीन अधिहरण के लिए कार्यवाहियां आरंभ की गयी हैं, कब्जे, परिदान, व्ययन या वितरण से संबंधित आदेश देने की कोई अधिकारिता नहीं होगी।

17. अधिहृत सम्पति का व्ययन.- इस अधिनियम के अधीन अधिहृत किसी सम्पति का व्ययन ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, किया जायेगा।

18. धारा 13 के अधीन अभिगृहीत संपत्ति को निर्मुक्त करने की शक्ति.- कोई अधिकारी, जिसने किसी वृक्ष को गिराने में उपयोग में ली गई मशीनरी, औजारों, नावों, यानों या अन्य प्रवहणों, रस्सियों, चैनों या किसी अन्य वस्तु का अभिग्रहण किया है, से अनिम्न पंक्ति का कोई अधिकारी धारा 13 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उन्हें उनके स्वामी द्वारा, इस प्रकार निर्मुक्त सम्पति को, जब और जहां उसे पेश करना अपेक्षित हो, पेश करने के लिए बंधपत्र निष्पादित करने पर, निर्मुक्त कर सकेगा।

19. गिरा हुआ वृक्ष या इमारती लकड़ी, औजार, आदि कब अधिहरणीय होंगे.- (1) ऐसे समस्त गिरे हुये वृक्ष या इमारती लकड़ी जो राज्य सरकार की संपत्ति नहीं हैं और जिनके संबंध में अपराध कारित किया गया है और ऐसे अपराध के करने में प्रयुक्त समस्त मशीनरी, औजारों, नावों, यानों या अन्य प्रवहणों, रस्सियों, चैनों या कोई अन्य वस्तुएं, धारा 13, 14, 15 और 16 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अपराध के लिए अपराधी की दोषसिद्धि पर अधिहरण के लिए दायी होंगी।

(2) ऐसा अधिहरण, ऐसे अपराध के लिए विहित किसी अन्य दंड के अतिरिक्त हो सकेगा।

20. वृक्ष की उपज के बारे में उपधारणा.- जहां इस अधिनियम के अधीन की गई किसी कार्यवाही में या इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी कार्य के परिणामस्वरूप ऐसा प्रश्न उठता है कि क्या वृक्षों की कोई उपज राज्य सरकार की संपत्ति है या नहीं, तब, ऐसी उपज के बारे

में, जब तक कि प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वह राज्य सरकार की संपत्ति है।

21. इस अधिनियम के उपबंधों का किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होना.- इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में वृक्षों के गिराये जाने को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने वाले उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और न कि उनके अल्पीकरण में।

22. गिरायी गयी सामग्री का अभिवहन.- इस अधिनियम के अधीन गिराये गये वृक्षों उससे उद्भूत किसी उपज का अभिवहन ऐसी रीति से विनियमित और ऐसे निर्बंधनों और प्रक्रियाओं के अध्यधीन होगा, जो विहित की जाये।

23. अधिकारियों का लोक सेवक होना.- इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले या किन्हीं कर्तव्यों या कृत्यों का निर्वहन करने वाले अधिकारी, भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 2 के खण्ड (28) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

24. सद्भावपूर्वक की गयी कार्रवाई के लिए संरक्षण.- किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी के विरुद्ध, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित, या की जाने के लिए तात्पर्यित किसी बात के लिए या करने के लोप के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं की जा सकेगी।

25. इस अधिनियम का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना.- इस अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में या ऐसी किसी विधि के

आधार पर प्रभावी किसी रूढि या प्रथा या किसी लिखत में अंतर्विष्ट किसी बात से असंगत होते हुए भी, अध्यारोही प्रभाव होगा।

26. आवेदन आदि का इलेक्ट्रानिक रूप में फाइल किया जाना.- राज्य सरकार, नियमों द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से आवेदनों, अपीलों और अन्य कार्यवाहियों के प्रस्तुतीकरण, प्रक्रिया और निपटान करने के लिए और इस अधिनियम के अधीन जारी या पारित किसी अनुज्ञा, आदेश, सूचना, विनिश्चिय या अन्य दस्तावेज की इलेक्ट्रानिक साधनों द्वारा संसूचना, तामील या प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी।

27. निदेश देने की सरकार की शक्ति.- सरकार, समय-समय पर, प्राधिकृत अधिकारी और उसके अधीनस्थ अधिकारियों को उनके कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में और इस अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए साधारण या विशेष निदेश दे सकेगी और प्राधिकृत अधिकारी और अन्य अधिकारियों को जारी निदेशों का अनुपालन करना होगा।

28. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, चौदह दिन की कुल कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि, सत्र की जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक अगले सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मंडल का सदन ऐसे नियमों में से किसी भी नियम में कोई भी उपांतरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसे कोई नियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् ऐसे नियम

केवल ऐसे उपांतरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

29. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके इस प्रकार किये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष रखा जायेगा।

अनुसूची

वृक्षों की सूची

क्र.सं.	**लेटिन नाम**	**स्थानीय नाम**
1	अकेश्या कैटेचू	खैर
2	अडीना कॉर्डिफोलिया	हल्दू
3	एनोजाइसस सेरीसिआ	इन्द्र धोक
4	बैलेनाइट्स ईजिप्टियाका	हिंगोट
5	बॉम्बेक्स सेइबा	सेमल
6	बोसवेलिया सेराटा	सालर
7	बुशनानिया लांजाना	चिरोंजी
8	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा ल्यूटिया	पीला पलाश
9	कैपेरिस ग्रैंडिस/कैपेरिस डेसिडुआ	पाडन बोर/कैर
10	कॉर्डिया क्रेनटा	लसोडा, लिसोडा, गुन्दा
11	डैलबर्जिया लैटिफोलिया	काली शीशम्
12	डायोस्पायरोस मोंटाना/डायोस्पायरोस मेलानोक्सीलॉन	बिषतेन्दू/तेन्दू, टिमरू
13	एहरेटिया सेराटा	सिल्ला
14	फाइकस बेंगालेंसिस	बड़, बरगद, वट
15	फाइकस रेलिजियोसा	पीपल
16	लैनिया कोरोमंडेलिका	गोदल
17	लिमोनिया एसिडिसिमा	कोटबड़ी, कोटम्बडी
18	मधूका इंडिका	महुआ
19	मणिकारा हेक्सेंड्रा	खिरनी,रायन
20	ओरोक्सीलम इंडिकम	शिवनख
21	उजेनिया उजेनेंसिस	तन,तनू
22	प्रोसोपिस सिनेरेरिया	खेजड़ी
23	टेरोकार्पस मार्सुपियम	बीजा, बीजासाल

24	साल्वाडोरा ओलिओइडेस/ साल्वाडोरा पर्सिका	खारा जाल/ मीठा जाल
25	श्लाइचेरा ओलिओसा	कुसुम
26	श्रेबेरा स्वीटेनीयोइड्स	मोखा
27	स्टरकुलिया यूरेन्स	कडायो
28	स्टीरियोस्पर्मम सुआविओलेन्स	पाडल
29	टेकोमेला अनडुलेटा	रोहिडा

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान, विविध पारिस्थितिकीय जोन के साथ देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक होने के कारण, त्वरित शहरीकरण, औद्योगीकरण और अवसंरचना विकास का साक्षी रहा है, जिसके परिणामस्वरूप गैर-वन क्षेत्रों में वृक्षों को बड़े पैमाने पर गिराया गया है। वृक्ष, पारिस्थितिकीय संतुलन बनाए रखने, मरुस्थलीकरण के निवारण, जैव विविधता को संरक्षित रखने, वायु गुणवत्ता में सुधार लाने, भू-जल स्तर को सतत् बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वर्तमान में, वृक्षों, विशिष्टतया खेजड़ी (प्रोसोपिस सिनेरेरिया) वृक्ष जिसे थार मरुस्थल के "जीवन वृक्ष" के रूप में जाना जाता है और जो राजस्थान का आधिकारिक राज्य वृक्ष है, को काटे जाने की कई घटनाएं हुई हैं। राज्य सरकार ने, इन घटनाओं को संज्ञान में लेते हुए, यह देखा है कि यद्यपि वनों और वन भूमियों के लिए व्यापक विधिक संरक्षण विद्यमान है तथापि गैर-वन क्षेत्रों में, जिनमें निजी, राजस्व, शहरी और संस्थागत भूमियां सम्मिलित हैं, स्थित वृक्षों को गिराये जाने से संरक्षित और विनियमित करने के लिए राज्य में कोई विनिर्दिष्ट और व्यापक विधान नहीं है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 48क राज्य पर पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीवों की रक्षा करने का कर्तव्य अधिरोपित करता है और भारत के संविधान का अनुच्छेद 51क(छ) भी प्रत्येक नागरिक पर प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन करने का कर्तव्य आदिष्ट करता है। इसलिए, राज्य सरकार ने गैर-वन क्षेत्रों में वृक्षों के गिराये जाने को विनियमित करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने,

भयोपकारी शास्तियां विहित करने, प्रतिकरात्मक वृक्षारोपण को प्रोन्नत करने और अनुज्ञा, अपील और प्रवर्तन के लिए एक पारदर्शी तंत्र का उपबंध करने के लिए नया विधान लाने का विनिश्चय किया है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: यह विधेयक प्रस्तुत है।

हेमन्त मीणा,

प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के निम्नलिखित खण्ड, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, राज्य सरकार को ऐसे प्रत्येक खण्ड के सामने अधिकथित मामलों के संबंध में नियम बनाने के लिए सशक्त करेंगे:-

खण्ड	**के संबंध में**
3(ग)	वृक्ष के किसी भाग की छंटाई के लिए प्रयोजन विहित करना;
6	वह प्रयोजन, जिसके लिए कोई व्यक्ति किसी वृक्ष को गिरा सकेगा या उसे अन्यथा व्ययन कर सकेगा विहित करना, और वह रीति जिससे कोई जांच की जानी है, विहित करना;
7	धारा 6 के अधीन अनुज्ञा अभिप्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा रोपित वृक्षों की संख्या विहित करना और वृक्षों के रोपण का जिम्मा लेने में असमर्थ व्यक्ति द्वारा जमा करायी जाने वाली धनराशि विहित करना;
8(1)	आवेदन का प्ररूप और वह फीस जिसके साथ किसी वृक्ष को गिराने की अनुज्ञा अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन किया जाना है, विहित करना;
8(3)	वह रीति जिसमें और शर्तें जिसके अध्यधीन वृक्ष गिराये जाने की अनुज्ञा अनुज्ञात की जानी है, विहित करना;
13(4)	संपत्ति के अधिहरण के लिए कार्यवाहियां आरंभ करने के बारे में मजिस्ट्रेट को भेजने वाली सूचना का प्ररूप विहित करना;
14(1)	अपील के लिए फीस की रकम और फीस के संदाय का प्ररूप विहित करना;
17	अधिहृत संपत्ति के व्ययन की रीति, विहित करना;
22	गिराये गये वृक्षों के अभिवहन को विनियमित करने की रीति और उसके अभिवहन से संबंधित निर्बंधनों और प्रक्रियाओं को विहित करना;

26	आवेदनों, अपीलों आदि का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण, प्रक्रिया और निपटान को विहित करना;
28	अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करना।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यत: ब्यौरे के विषयों से संबंधित है।

हेमन्त मीणा,

प्रभारी मंत्री।

Bill No.11 of 2026

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN TREES (PROTECTION) BILL, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to prevent felling of trees and to encourage and promote plantation of trees and to protect and conserve trees particularly those looked upon as sacred groves, or identified as belonging to an endangered species and for the matters connected therewith or incidental thereto.

WHEREAS it is expedient to make better provisions for protection and improvement of environment as envisaged under Article 48A of the Constitution of India.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-seventh Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title, extent and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Trees (Protection) Act, 2026.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the *Official Gazette*, appoint.

2. Application.- This Act shall apply to trees in non-forest areas i.e. the areas other than reserved forest and protected forests notified under the Rajasthan Forest Act, 1953 (Act No. 13 of 1953) and the areas declared as “protected area” under the Wild Life (Protection) Act, 1972 (Central Act No. 53 of 1972).

3. Definitions.- In this Act, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) "Appellate Authority" means an authority as may be appointed by the State Government as Appellate Authority under this Act;

(b) "authorised officer" means an officer authorised by the State Government, by notification, to perform the duties and exercise the powers conferred upon him under this Act;

(c) "fell a tree" with its cognate expressions, means severing the trunk from the roots, uprooting the tree, and includes bulldozing, cutting, girdling, pollarding, applying arboricides, burning or damaging a tree in any other manner but shall not include lopping of a limb of a tree for such purposes as may be prescribed;

(d) "land" means land of every description, whether agricultural, non-agricultural, rural or urban, and shall include private land, Government land, land transferred by the State Government to the Local Bodies or Urban Improvement Trust or other Development Authorities, land appurtenant to buildings, or to institutional, industrial, commercial or residential premises, or roadsides, canal banks, river banks and such other lands where trees may exist;

(e) "occupancy", in relation to any land, means the possession, occupation, use or enjoyment of such land by a person, whether as a tenant, lessee, licensee, mortgagee in possession, allottee or otherwise, but does not include a person having merely a temporary right of entry upon such land;

(f) "person" means any individual, group of persons, society or trust or firm either registered or unregistered, company or association or body of persons, whether incorporated or not;

(g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(h) “Schedule" means a Schedule to this Act;

(i) “tree” means any woody plant of a species specified in the Schedule, whose branches spring from and are supported upon a trunk or body, and whose trunk or body is not less than ten centimetres in diameter at breast height above the ground level:

Provided that the State Government may by notification add to or modify the Schedule;

Explanation.- For the purpose of this clause ‘breast height’ means the standard height for measuring girth, diameter and basal area of standing trees which is taken as 4 feet 6 inches (1.37 meter) above ground level and on slopes breast height is taken on the up-hill side.

4. Restriction on felling of trees.- Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, or anything contained in any instrument to the contrary, no person shall fell any tree or cause such tree to be felled standing on land, whether of his ownership or occupancy or otherwise, except with the previous permission in writing of an officer duly authorised by the State Government by a notification in that behalf:

Provided that no permission under this section shall be required for the felling or disposal of any tree standing on a residential plot or residential premises having an area not exceeding five hundred square metres.

5. Contravention of section 4 to be reported by certain officers.- (1) A Revenue Officer, Patwari, Inspector of Land Records and Village Development Officer, within whose territorial jurisdiction a contravention of section 4 is committed, shall be under an obligation,-

(a) to give immediate information of such contravention to the officer authorised under that section and of the preparation to

commit such contravention which may come to his knowledge; and

(b) to take all reasonable measures in his power to prevent such contravention which he knows or has reason to believe is about or likely to be committed.

(2) Upon receipt of any information relating to a contravention under clause (a) of sub-section (1), or on his own motion, the officer authorised under section 4 shall, forthwith and in accordance with the provisions of this Act, take such action as may be necessary.

6. Permission to fell trees.- The authorised officer, on receipt of an application from a person who desires to fell a tree or otherwise dispose of any tree, for such purposes as may be prescribed, and on being satisfied with regard to the legality of documents towards the proof of ownership or occupancy of the land on which such tree stands and after making an inquiry in such manner as may be prescribed, may grant permission, in writing, to fell the tree:

Provided that where a tree poses such immediate danger to any person or property, the owner of the land may take immediate action to fell such tree and report the fact to the authorised officer within forty-eight hours of such felling.

7. Obligation to plant trees.- Every person, who after obtaining permission under section 6, fells any tree, shall undertake plantation of such number of trees as may be prescribed, in place of every tree felled, in the same vicinity and tend such plantation of trees in accordance with the directions of the authorised officer:

Provided that any person, unable to undertake plantation of trees, may deposit such amount of money, as may be prescribed considering the importance of trees, to the authorised officer,

facilitating the designated agency of the State Government to undertake plantation of trees for the trees felled.

Explanation.-‘designated agency of the State Government’ for the purpose of this section means a designated agency of the State Government, as may be notified by the State Government.

8. Procedure for obtaining permission to fell trees.- (1) Every application under section 6 shall be made in writing giving particulars of the tree, the details of land on which the tree is located and the reasons for felling the tree and shall be accompanied with such fee and in such form, as may be prescribed.

(2) The authorized officer shall, on receipt of an application in respect of any tree, issue an acknowledgement to the applicant, and after making an inquiry, in such manner as may be prescribed, shall dispose of the application, within thirty days of the receipt thereof, either allowing the felling of trees or rejecting the application giving reasons therefor:

Provided that such permission may not be refused if the tree-

(i) is dead, diseased or wind-fallen;

(ii) constitutes a danger to life or property;

(iii) constitutes an obstruction to traffic; or

(iv) is substantially damaged or destroyed by fire, lightning, rain or other natural cause.

(3) Every permission to fell a tree, granted under this Act, shall be in such form and subject to such conditions, including the taking of security for undertaking plantation of trees, as may be prescribed.

9. Appeal.- (1) Subject to the provisions of sub-section (2), an appeal shall lie from every order of the authorized officer to the Appellate Authority.

(2) Every such appeal shall be preferred within thirty days from the date of communication of the order:

Provided that the Appellate Authority may entertain an appeal after the expiry of the said period of thirty days, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing it in time.

(3) On receipt of any such appeal, the Appellate Authority shall, after giving the appellant a reasonable opportunity of being heard and after making such inquiry as it deems fit, pass such order thereon as it thinks fit, for reasons to be recorded in writing, and the order so passed shall be final.

(4) The proceedings before the Appellate Authority shall be completed within a period of one month from the date of preferring appeal under sub-section (2).

10. Punishment.- Any person who contravenes any of the provisions of this Act or rules or orders made thereunder shall, on conviction, be punished with imprisonment which may extend to one year, or with fine which may extend to one lakh rupees, or with both.

11. Offences by companies.- (1) Where an offence has been committed by a company under this Act, every person, who at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance or, is attributable to any neglect on the part of any Director, Manager, Secretary or other officer of the company, such Director, Manager, Secretary or other officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.- For the purposes of this section-

(a) "company" means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

12. Offence to be cognizable and bailable.- Notwithstanding anything contained in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023) or in any other law for the time being in force all offences under this Act shall be cognizable and bailable.

13. Seizure of property liable to confiscation and procedure therefor.- (1) Where there is reason to believe that an offence under this Act has been committed, the timber and all machinery, tools, boats, vehicles or other conveyances, ropes, chains and other articles used in the commission of such offence may be seized by any officer empowered by the State Government in this behalf.

(2) Every officer seizing any property under this section shall place on such property a mark indicating that the same has been so seized and shall, as soon as may be, either produce the property seized before an officer authorised by the State Government in this behalf by notification or where it is, having regard to quantity or bulk or other genuine difficulty, not practicable to produce property seized before the officer so

authorised, make a report about the seizure to the authorised officer, or where it is intended to launch criminal proceedings against the offender immediately, make a report of such seizure to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made:

Provided that, when the tree with respect to which such offence is believed to have been committed is the property of the State Government and the offender is unknown, it shall be sufficient if the officer makes, as soon as may be, a report of the circumstances to his official superior.

(3) Subject to sub-section (5), where the authorised officer upon production before him of the property seized or upon the receipt of report about the seizure, as the case may be, is satisfied that an offence has been committed in respect thereof, he may by order in writing and for reasons to be recorded, confiscate the wood of the tree so seized, together with all machinery, tools, boats, vehicle or other conveyances, ropes, chains or any other article used in committing such offence.

(4) No order confiscating any property shall be made under sub-section (3) unless the authorised officer-

(a) sends an intimation in the prescribed form about the initiation of proceedings for confiscation of property to the Magistrate having jurisdiction to try the offence on account of which the seizure has been made; and

(b) affords an opportunity of being heard to the persons whose property is to be seized.

(5) No order of confiscation under sub-section (3) of any machinery, tools, boats, vehicle, ropes, chains or any other article, other than the timber seized, shall be made if any person referred to in clause (b) of sub-section (4) proves to the satisfaction of authorised officer that any such machinery, tools, boats, vehicle or

other conveyances, ropes, chains or any other article were used without his knowledge or connivance or, as the case may be, without the knowledge or connivance of his servant or agent and that all reasonable and necessary precautions had been taken against use of objects aforesaid for commission of such offence.

14. Appeal against order of confiscation.- (1) Any person aggrieved by an order of confiscation may, within thirty days of the order, prefer an appeal to the Appellate Authority, accompanied by a certified copy of the order of confiscation and with such fee, payable in such form, as may be prescribed.

(2) The Appellate Authority may, pending disposal of the appeal, pass such interim orders relating to the custody, preservation or, where necessary, disposal of the property which is the subject matter of confiscation, as it may consider just and proper in the circumstances of the case.

(3) The Appellate Authority shall peruse the record and hear the parties to the appeal if present in person or through any agent duly authorised in writing:

Provided that before passing any final order, the Appellate Authority may, if it is considered necessary for the proper decision of appeal, make further inquiry itself or cause it to be made by the authorised officer.

(4) A copy of the final order shall be sent to the authorised officer for compliance or for passing any other appropriate order in conformity with the order of the Appellate Authority.

15. Revision before Court of Sessions against order of Appellate Authority.- (1) Any party to the appeal, aggrieved by final order passed by the Appellate Authority under section 14, may within thirty days of the order, prefer a revision petition to the Court of Sessions within whose local jurisdiction the offence was committed.

(2) For entertaining, hearing and deciding a revision under this section, the Court of Sessions shall, as far as may be, exercise the same powers and follow the same procedure as it exercises and follows while entertaining, hearing and deciding a revision under the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (Central Act No. 46 of 2023). The order of the Court of Sessions passed under this section shall be final.

16. Bar to jurisdiction of Court, etc. under certain circumstances.- On receipt of intimation under sub-section (4) of section 13 about initiation of proceedings for confiscation of property by the Magistrate having jurisdiction to try the offence, no court, tribunal or authority, other than the authorised officer, the Appellate Authority and the Court of Sessions referred to in sections 14 and 15, shall have jurisdiction to make orders with regard to possession, delivery, disposal, or distribution of the property in respect of which proceedings for confiscation are initiated under section 13, notwithstanding anything to the contrary contained in this Act or in any other law for the time being in force.

17. Disposal of Property Confiscated.- Any property confiscated under this Act shall be disposed of in such manner as may be prescribed.

18. Power to release property seized under section 13.- Any officer of a rank not inferior to that of an officer who has seized machinery, tools, boats, vehicle or other conveyances, ropes, chains or any other article used in felling a tree, may, subject to the provisions of section 13, release the same on the execution by the owner thereof a bond for the production of the property so released, when and where required to produce the same.

19. Fallen tree or timber, tools, etc., when liable to confiscation.- (1) All fallen trees or timber which is not the property of State Government and in respect of which an offence has been committed, and all machinery, tools, boats, vehicle or other conveyance, ropes, chains or any other articles used in committing the offence, shall, subject to the provisions of sections 13, 14, 15 and 16 be liable to confiscation upon conviction of the offender for such offence.

(2) Such confiscation may be in addition to any other punishment prescribed for such offence.

20. Presumption regarding produce of tree.- Where in any proceedings taken under this Act, or in consequence of anything done under this Act, a question arises as to whether any produce of tree is the property of the State Government, such produce, shall be presumed to be the property of the State Government until the contrary is proved.

21. Provisions of this Act to be in addition to other law.- The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, the provisions of any other law for the time being in force prohibiting or regulating the felling of trees.

22. Transit of felled material.- The transit of felled trees or any produce derived therefrom under this Act shall be regulated in such manner and subject to such restrictions and procedures as may be prescribed.

23. Officers to be public servant.- The officers exercising powers or discharging any duties or functions under this Act, shall be deemed to be public servant within the meaning of clause (28) of section 2 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (Central Act No. 45 of 2023).

24. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution, or other legal proceedings shall lie against any

authority or officer for anything done in good faith or intended to be done, or purported to be done, or omitted to be done in pursuance of this Act, or any rule or order made thereunder.

25. Act to override other laws.- Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall have overriding effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law, for the time being in force, or any custom or usage or any instrument having effect by virtue of any such law.

26. Electronic filing of application etc.- The State Government may, by rules, provide for the submission, processing and disposal of applications, appeals and other proceedings under this Act through electronic means and for the communication, service or delivery, by electronic means, of any permission, order, notice, decision or other document issued or passed under this Act.

27. Power of the Government to give directions.- The Government may, from time to time, give to the authorised officer and officers subordinate to him general or special directions regarding the discharge of their functions and for carrying out effectively the purposes of this Act, and authorised officer and other officers shall comply with the directions issued.

28. Power to make rules.- (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be laid, as soon as may be after they are so made, before the House of the State Legislature, while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if before the expiry of the session in which they are so laid, or of the session immediately following, the House of the State Legislature makes any modifications in any of such rules, or

resolves that any such rule should not be made, such rules shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

29. Power to remove difficulties.- (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it, to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after two years from the date of commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall, as soon as may be after it is made, be laid before the Houses of the State Legislature.

Schedule
List of Trees

S.No.	Latin name	local name
1	Acacia catechu	Khair
2	Adina Cordifolia	Haldu
3	Anogeissus sericea	Indra dhok
4	Balanites aegyptiaca	Hingot
5	Bombex ceiba	Semal
6	Boswellia serrata	Salar, salai
7	Buchanania lanzan	Achar, Chironji
8	Butea monosperma lutea	Peela Palash
9	Capparis grandis/ Cappris decidua	Padan Bor/ Kair
10	Cordia crenata	Lisoda
11	Dalbergia latifolia	Kali Shisham
12	Diospyros Montana/ Diospyros melnoxylon	Bistendu/Tendu, Timru
13	Ehretia serrata	Silla
14	Ficus benghalensis	Bad, bargad, vat
15	Ficus religiosa	Peepal
16	Lannea coromandelica	Godal
17	Limonia acidissima	Kotbadi
18	Madhuca indica	Mahuwa
19	Manilkara hexandra	Khirni, Rayan
20	Oroxylum indicum	Tetu, Farri , shivnakh
21	Ougeinia oojeinsis	Tan, Tanus
22	Prosopis cineraria	Khejri
23	Pterocarpus marsupium	Beeja, Beejasal

24	Salvadora oleoides/ Salvadora persica	Khara Jaal/ Mitha Jaal
25	Schleichera oleosa	Kusum
26	Schrebera swietenioides	Mokha
27	Sterculia urens	Kadaya
28	Stereospermum suaveolens	Padal
29	Tecomella undulata	Rohida

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Rajasthan, being one of the largest States of the country with diverse ecological zones, has been witnessing rapid urbanisation, industrialisation and infrastructure development, which has resulted in large-scale felling of trees in non-forest areas. Trees play a vital role in maintaining ecological balance, preventing desertification, conserving biodiversity, improving air quality, sustaining groundwater levels and mitigating the adverse effects of climate change.

In recent times, there have been several incidents of cutting down trees, particularly, Khejari (*Prosopis cineraria*) trees which is known as the "tree of life" of the Thar desert and is the official State tree of Rajasthan. Taking cognizance of these incidents, the State Government observed that while comprehensive legal protection exists for forests and forest lands, there is no specific and comprehensive legislation in the State for protection and regulation of felling of trees situated in non-forest areas, including private, revenue, urban and institutional lands.

Article 48A of the Constitution of India casts a duty upon the State to protect and improve the environment and to safeguard forests and wildlife and also, Article 51A(g) of the Constitution of India enjoins every citizen to protect and improve the natural environment. Therefore, the State Government decided to bring a new legislation to regulate felling of trees in non-forest areas, ensure accountability, promote compensatory plantation and provide a transparent mechanism for permission, appeal and enforcement.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

हेमन्त मीणा,

Minister Incharge.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The following clauses of the Bill, if enacted, shall empower the State Government to make rules with respect to the matter enumerated against each of such clauses: -

Clauses

With respect to

3 (c)	prescribing the purposes for lopping off a limb of tree;
6	prescribing the purpose for which a person may fell a tree or otherwise dispose of the same and prescribing the manner in which an inquiry to be made;
7	prescribing such number of trees to be planted by the person who obtains permission under section 6 and prescribing the amount of money to be deposited by person, unable to undertake plantation of trees;
8(1)	Prescribing the form of application and the fee to be accompanied with application for obtaining permission to fell a tree;
8(3)	prescribing the form in which, and conditions subject to which, permission to fell tree is granted;
13 (4)	prescribing the form of intimation about initiation of proceedings for confiscation of property to be sent to the Magistrate;
14(1)	prescribing the amount of fee and form of payment of fees for appeal;

17	prescribing the manner in which the confiscated property shall be disposed of;
22	prescribing the manner for regulation of transit of felled trees and restrictions and procedures regarding the transit thereof;
26	prescribing the submission, processing and disposal of applications, appeals etc. online;
28	carrying out the purposes of the Act.

The proposed delegations are of normal character and mainly relate to matters of detail.

हेमन्त मीणा,

Minister Incharge.

<u>Bill No. 11 of 2026</u>

THE RAJASTHAN TREES (PROTECTION) BILL, 2026

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to prevent felling of trees and to encourage and promote plantation of trees and to protect and conserve trees particularly those looked upon as sacred groves, or identified as belonging to an endangered species and for the matters connected therewith or incidental thereto.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

BHARAT BHUSHAN SHARMA,
Principal Secretary.

(Hemant Meena, **Minister-Incharge**)

2026 का विधेयक सं. 11

राजस्थान वृक्ष (संरक्षण) विधेयक, 2026

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

वृक्षों को गिराने से रोकने और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित तथा प्रोन्नत करने और वृक्षों, विशेषत: वे जो पवित्र उपवन समझे जाते हैं या किसी संकटापन्न जातियों से संबंधित होने के रूप में पहचाने जाते हैं, की सुरक्षा और संरक्षा करने के लिए और उनसे संसक्त या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

भारत भूषण शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(हेमन्त मीणा, **प्रभारी मंत्री)**